तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा मीठु लाल बनाम बालु लाल वगै० [illegible] - वाद नं. 29/16	

19-3-19

पत्रावली पेश हुई वादी पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 2-5-19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

2-5-19

पत्रावली पेश हुई वादी पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27-6-19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

27.06.2019

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2016 से लम्बित होकर आज वादी को प्रस्तुत करने विपक्षीगण 3, 7, 5/5 के सम्मन प्रोसस हेतु नियत है। यानि प्रकरण विगत 3 वर्षो से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादी को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादी द्वारा आज सुनवाई के दौरान सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा